



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क / 15 निगरानी

निगरानी 1044-PBR-15

हरज्ञान सिंह पुत्र स्व० श्री नोनकरन बाथम  
निवासी जहाँगीर कटरा मदन कुईया पावर  
हाउस के पास ग्वालियर

—प्रार्थी

बनाम

श्री ० एम० सु० १५

12/5/15

श्री श्री ० एम० सु० १५  
द्वारा आज दि. 12-5-15 को  
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1 भगवान सिंह पुत्र स्व० श्री पातीराम
- 2 जितेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी  
जहाँगीर कटरा रानीपुरा ग्वालियर
- 3 राजावती पत्नी दयाराम कुशवाह
- 4 सावित्री पत्नी दाताराम कुशवाह
- 5 किरन पत्नी श्री लाखन सिंह
- 6 रमेश पुत्र. सेवाराम
- 7 नन्दा पत्नी प्रकाश
- 8 मुन्नी पत्नी श्री हरीशंकर
- 9 रमेश पुत्र श्री सेवाराम
- 10 प्रदीप पुत्र श्री जगदीश
- 11 पूजा पत्नी ओम प्रकाश
- 12 किशना पत्नी वेदप्रकाश
- 13 शालिनी पत्नी अर्जुन समस्त निवासीगण
- 14 मुन्नी पत्नी हरीशंकर  
ग्राम रानीपुरा परगना व जिला ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थी

कमश: 02

॥ 2 ॥

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध  
प्रकरण क्रमांक 3/14-15 अ 27 अपील में पारित आदेश  
दिनांक 11.05.2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त  
बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1044-पीबीआर/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.07.2015	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11-5-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि बटांकन का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, जबकि बटांकन करने हेतु तहसीलदार ही सक्षम है, अतः आवेदक का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	